न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 157 / 2014
आरसीएमएस नं. 2014 / 00364

शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिंधी निवासी सिंधी मोहल्ला, वार्ड नम्बर–22, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़। —— अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप
2. कानाराम
3. हनुमान

} पिसरान मनीराम अकवाम जाट निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. साहबराम
5. रामदास
6. प्रभुदयाल
7. द्वारकाप्रसाद
8. राधाकृष्ण

} पिसरान भगवानदास अकवाम अरोड़ा निवासीयान बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

—— रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.2013
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), टिब्बी
अनवान ''रामस्वरूप आदि बनाम हरीलाई आदि'' प्र. सं. 460 / 2012

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलांट
श्री जयनारायण शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 11.10.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने हरीलाई व रेस्पोडेंट संख्या 5 से 8 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''रामस्वरूप आदि बनाम हरीलाई आदि'' मुकदमा नम्बर 460 / 2012 प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी चक 9 केएचआर पत्थर नम्बर 225 / 226 किला नम्बर 6, 7, 14 ता 16 कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी वादी व उसके भाईयो के कब्जा काश्त व धारण में है। वादीगण ने ही इस आराजी को बंजर से नौतोड कर काबिल काश्त बनाया है। प्रतिवादीगण कभी भी ग्राम गिलवाला में नहीं रहे। प्रतिवादीगण उक्त आराजी विधि विरूद्व तरीके

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

से अपने नाम दर्ज करवा ली जिसका वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कोई असर नहीं हे। वादीगण का कब्जा 40 वर्ष से लगातार चला आ रहा है तथा वादीगण का प्रतिकूल कब्जा सिद्व है जिसके आधार पर वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। इस आराजी की रकमराज अबियाना वादीगण ही जमा खजानाराज करवाते हैं। नहरी बारी पानी की पर्चीयां व नहरी गिरदावरी वादीगण के नाम चली आ रही है जो वादीगण ने पेश की है। अन्त में वादीगण को उक्त आराजी के बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण इतिला के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी जाकर दिनांक 02.04.2013 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने प्रश्नगत भूमि पुराने कब्जा काश्त आधिपत्य व धारण की होने तथा उक्त भूमि को बंजर से नौतोड कर काबिल काश्त बनाने के कथन किये हैं तथा प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है। जबकि प्रश्नगत भूमि हरिबाई को कस्टोडियन विभाग से आवंटित है जिसकी खातेदारी भी हरिबाई को प्राप्त हो चुकी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने हरिबाई का नाम हरिलाई गलत दर्ज किया है तथा उसका निवास स्थान कोठा तहसील पदमपुर न होकर लालगुर्ज कोटा तहसील व जिला कोटा है। हरिबाई पर कोई विधि सम्मत तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने साधारण सम्मन जारी नहीं किये तथा रेस्पोडेंट के निवेदन पर सीधे ही दैनिक समाचार पत्र में तामील प्रकाशित करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट ने कोई सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही वाद पत्र की कोई कार्यालय रिपोर्ट ली गई बल्कि सीधे ही वाद को दर्ज कर लिया गया। हीराभाई की मृत्यु माह जून 2014 में हो चुकी है। हरिबाई ने अपने जीवन काल में दिनांक 11.08.2012 की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी सम्मन हरिबाई को प्राप्त नहीं हुआ तथा ना ही हरिबाई ने लेने से इन्कार किया। दैनिक तेज अखबार कोटा में वितरित नहीं होता। प्रतिकूल धारण के आधार पर डिक्री पारित नहीं की जा सकती। धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए अपील ने निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि की सनद हरिबाई के नाम दर्ज है। हरिबाई की मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट के पक्ष में हरिबाई द्वारा निष्पादित प्रश्नगत भूमि की वसीयत है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विपरीत रूप से प्रभावित है। अपीलांट हरिबाई का वसीयती उत्तराधिकारी है लेकिन तकनीकी कमी न रहे इस कारण अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जावे। दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान दिनांक 16.09.2014 को तब हुआ जब अपीलांट हरिबाई की मृत्यु हो जाने पर वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु जमाबंदी की नकल पटवारी हल्का के पास लेने गया तो पटवारी हल्का ने उसे उपरोक्त कृषि भूमि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या–1 के नाम दर्ज होने के कथन किये। जिस पर अपीलांट ने सम्बंधित पत्रावली की पड़ताल की तथा दिनांक 17.09.2014 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम अपीलांट को अपीलाधीन का आदेश ज्ञान हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने हरिबाई पर विधि अनुसार तामील नहीं हुई इस कारण अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व में नहीं रहा। अपील कानूनी रूप से बल रखती है इसलिए दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट ने बंजड़ से नौतोड कर काबिल काश्त बनाया है। हरिबाई अथवा अपीलांट कभी भी गांव गिलवाला में नहीं रहे। प्रश्नगत भूमि की रकमराज, अबयाना रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ही जमा करवाते आए हैं। नहरी बारी, पानी की पर्ची व नहरी गिरदावरियां रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के नाम से चली आ रही है जो रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के कब्जा को बखूबी साबित करते हैं। उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 का पुराना कब्जा है। हरिबाई पर विधि सम्मत तामील हुई है। हरिबाई की मृत्यु के सम्बंध में अपीलांट ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान 17.09.2014 को होने के कथन किये हैं तथा हरिबाई का नाम व पता रेस्पोडेंट द्वारा गलत दर्ज करने व उस पर विधि सम्मत तामील न होने के कथन किये हैं। रेस्पोडेंट ने दफा–5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर खण्डन नहीं किया है। उक्त परिस्थितियों में उक्त अपील का निर्णय गुणावगुणों पर किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट का दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. अपीलांट ने अपने पक्ष में हरिबाई की वसीयत दिनांक 11.08.2012 अपने पक्ष में होने के कथन किये हैं। उक्त प्रार्थना पत्र का भी कोई खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया है। उक्त परिस्थितियों में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कार्यालय रिपोर्ट के वाद दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फर्द अहकाम दिनांक 27.09.2012 के अनुसार पीठासीन अधिकारी नहीं है बाहर पधारे हुए हैं। वादी ने प्रतिवादीगण के सम्मन अखबार में साया करवाने का निवेदन किया व तत्पश्चात् दिनांक 07.11.2012 को अखबार में साया करने के आदेश पारित किये गये। साधारण सम्मन वापिस आने पर उस पर आई रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए यदि प्रतिवादीगण बार बार सम्मन लेने से गुरेज करे तब रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी के आदेश किये जाने चाहिए। रजिस्टर्ड डाक के सम्मन भी प्रतिवादीगण लेने से गुरेज करे तभी अखबार में सम्मन साया करने के आदेश करने चाहिए लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट आए बिना सीधे ही अखबार में साया करने के आदेश पारित किये हैं जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या–1 का नाम हरिबाई होने का कथन किया है तथा उसका निवास लालगुर्ज कोटा होने के कथन किये हैं जबकि रेस्पोडेंट ने हरिबाई का नाम हरिलाई व उसका नाम कोठा तहसील पदमपुर दर्शाया है। हरिबाई को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित हुए हैं। मामला अचल सम्पति से सम्बंधित है। न्याय की पूर्ति के लिए अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित है जिससे वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रख सके। उक्त परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.2013 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हरिबाई के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाते हुए व सभी पक्षकारों का आदेश 10 नियम 2 जाब्ता दीवानी के तहत परीक्षण कर वाद की आगामी कार्यवाही करते हुए पक्षकारों को जवाबदेही हेतु उचित अवसर प्रदान कर विवाधक विरचित कर व साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.10.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/X/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़